न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3942–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–10–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील पेटलावद जिला झाबुआ के प्रकरण कमांक 399/बी–121/2013–14.

रामलाल पिता शंकरलाल मुलेवा
निवासी पेटलावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.....आवेदक

विरूद्ध

1–शंकरलाल पिता खीमाजी मुलेवा
2–प्रकाश पिता शंकरलाल मुलेवा
3–सुरेश पिता शंकरलाल मुलेवा
निवासी पेटलावद तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.....अनावेदकगण

श्री टी.टी.गुप्ता एवं श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक,–अनावेदक कमांक 1
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक अनावेदक कमांक 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश 01–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक शंकर लाल द्वारा तहसील न्यायालय में बंटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 61/अ–27/2010–11 दर्ज कर दिनांक 28–2–11 को आदेश पारित कर बटवारा

स्वीकृत किया गया था । जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त न्यायालय में होने के पश्चात् निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई थी । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 4–2–2014 को आदेश पारित कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष कोसुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का तीन माह में निराकरण किया जाये। राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 4–2–14 के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 399/बी–121/2013–14 दर्ज किया जाकर दिनांक 1–10–2014 को आदेश पारित कर राजस्व अभिलेख में 28–2–11 के पूर्व की स्थिति कायम की गई । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–10–14 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया कि तहसील न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान पर विचार नहीं किया कि सहमति से हुये नामान्तरण /बंटवारा प्रकरण को पुनः नहीं खोला जा सकता है एवं न्यायालय स्वयं के द्वारा पारित आदेश को बिना वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति के उलट नहीं सकता है । तर्क में यह भी आधार लिया कि राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 4.2.2014 में तहसील न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि तहसील न्यायालय अनावेदक कमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा संशोधन दुरूस्ती आवेदन पत्र पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करें । तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि वे प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते इसलिये प्रकरण समाप्त किया जाये इसके बाबजूद तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण उसी स्टेज पर समाप्त न करते हुये अनावेदक कमांक एक का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में पूर्वानुसार दर्ज किये जाने बावत् आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में 1984 आरएन 13 व 1986 आरएन 355 का हवाला दिया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा कि तहसील न्यायालय का आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि पूर्व चले प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण के कथन लिये गये, कब्जे के मान से बटवारा फर्द तलब की गई, विज्ञप्ति का प्रकाशन व विधिक प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की सहमति से आवेदक एवं अनावेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर पृथक–पृथक दर्ज करने बावत् आदेश पारित किया गया । उक्त विधिपूर्ण आदेश को मात्र अनावेदक कमांक 1 के द्वारा बंटवारा संशोधन दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बिना किसी पक्ष की साक्ष्य लिये व सुनवाई का समुचित अवसर दिये आदेश दिनांक 28–2–11 के पूर्व की स्थिति बहाल करने का अधिकारिता रहित आदेश प्रदान कर दिया जो हस्तक्षेप योग्य है । अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर सहमति से बटवारा व नामान्तरण आदेश दिनांक 28–2–11 के पश्चात् की स्थिति बहाल की जावे ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 61/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28–2–11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की सहमति से बटवारा आदेश पारित किया गया है । बाद में अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आपसी सहमति से उभयपक्ष के मध्य वटवारा किया गया है एवं रिकार्ड में भी तद्नुसार नाम दर्ज हो गया था, परन्तु बाद में बटवारा होने के पश्चात् जो ऋण पुस्तिका मिली है उसमें त्रुटिवश संबंधितों को हिस्सा प्राप्त नहीं होकर सुरेश, प्रकाशचंद्र व रामलाल के हिस्से में चली गई है, अतः वटवारा संशोधित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6–अ/11–12 दर्ज कर दिनांक 9–10–12 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि उक्त प्रकरण को खोलने का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है, अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय तक प्रकरण प्रचलित होने और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–2–14 को आदेश पारित कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन माह में करें । इस न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण

दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वह अनावेदक कमांक 1 के प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध स्वीकार कर प्रकरण समाप्त करते, परन्तु उनके द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–11 के पूर्व की स्थिति कायम करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि पूर्व में दिनांक 28–2–11 को आपसी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था और तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया है , ऐसी स्थिति में तहसीलदार को प्रकरण के गुणदोष पर विचार नहीं करना चाहिये था । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–2–11 के पूर्व की स्थिति किस आधार पर कायम की गई है इसका कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–10–14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण की वैधानिक एवं न्यायिक स्थिति को देखते हुये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–11 स्थिर रखे जाने योग्य है क्योंकि उक्त आदेश को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार के प्रकरण कमांक 399/बी–121/2013–14 पारित आदेश दिनांक 1–10–14 निरस्त किया जाकर तहसीलदार के पूर्व प्रकरण कमांक 61/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28–2–11 स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण कमांक 399/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 1–10–2014 निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 61/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28–2–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर